

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)  
प्रकाश क्रमांक R- 5173-1/17



1- रामजी तनय गंगादीन निवासी ग्राम नेमुआ तहसील  
रामपुर बाघेलान, जिला सतना म०प्र०

-----निगरानीकर्ता/आवेदक  
बनाम

1- यशवंत सिंह तनय तोषण सिंह निवासी ग्राम दलदल,  
तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म०प्र०

मुरलीधर नन्दवानी तनय राधामल नन्दवानी निवासी  
भरहुल नगर, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म०प्र०

③ म.उ. शासन

-----गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व  
निरीक्षक सर्किल रामपुर बाघेलान,  
प्रकरण क्रमांक 23अ12/15-16  
पारित आदेश दिनांक 10-06-16

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

- 1- यह कि आलोच्य आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 3- यह कि आलोच्य आदेश आर०आई० के द्वारा निगरानीकर्ता को कोई सम्मन, सूचना नहीं दिया गया है न ही मौके पर कोई सीमांकन किया गया है बल्कि आर०आई० द्वारा अपने कार्यालय में ही बैठकर समस्त कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
- 4- यह कि जो सीमांकन किया गया है उसमें मौके की स्थिति के विपरीत है क्योंकि सीमांकित आराजी तथा निगरानीकर्ता के आराजी के मध्य बाणसागर नहर अपर

रामजी

③

